And in any case, on the question of sovereignty, I can assure the House with all the emphasis at my command that at no time, whether now or in future, will the question of sovereignty be sullied in any manner.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 102.

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सुविधाएं प्रदान करने की योजना

*102. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों में बिजली और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध करवायी गई है ;

(ग) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में उपर्युक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये किसी समयबद्ध कार्यक्रम को लागू करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम को सामान्य योजनाओं के अंतर्गत मुहैया कराई जाती हैं। किसी भी समस्याग्रस्त गांव में पेयजल-सप्लाई का प्रथम स्रोत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्ती में उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं को शुरू करने के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को क्रमशः 25% और 10% न्यूनतम परिव्यय निर्धारित करते हैं। राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की 35% निधियों के समग्र आबंटन के अंदर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आबंटन समायोजन योग्य होता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित संसधानों को अन्य क्षेत्रों में अपवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती है।

इसी प्रकार, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पेय जल सप्लाई हेतु विशेष घटक योजना और आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत निधियां निर्धारित की जाती हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कवर न की गई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सम्पूर्ण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाएगा। जहां तक गांवों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने का संबंध है, अलग से कोई योजना विचाराधीन नहीं है और विशेष रूप से इन क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है। एक समयबद्ध कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम न्यूनतम आवश्कता कार्यक्रम और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत वरीयता के आधार पर आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता

मुहैया कराता है। निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम वित्त-पोषित योजनाओं में विद्युतीकरण हेतु कवर किए गए जनगणना गांवों के साथ जुड़ी बसावटों में विद्युतीकरण सुनिश्चित कराने के लिये अनुदेश भी जारी किए हैं।

श्री अजीत जोगी : महोदया, मेरा प्रश्न पेयजल और बिजली अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों में दिये जाने के संबंध में है। मैं अपना पहला पूरक प्रश्न मन्त्री जी से पेयजल के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि अभी भी हम पेयजल जैसी सामान्य व्यवस्था अपने अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों में नहीं कर पाये। क्या ऐसा कोई प्रबन्ध किया जा सकता है कि इन आदिवासी और हरिजन इलाकों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक न ठहरना पड़े और वर्षभर के अंदर ही इन सब गांवों में यह व्यवस्था हो जाए? साथ ही मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पेयजल की करता है उसमें वह गांवों को इकाई मानता है। हमारे आदिवासी गांवों में और सामान्य मैदानी क्षेत्रों के गांवों में बहुत अन्तर है। आदिवासी गांव अलग-अलग टोलों में, पारों में, हेमलेट में होते है। तो क्या यह जो व्यवस्था की जाएगी उसमें आदिवासी गांवों के लिए कोई विशेष व्यवस्था करके यह देखा जायेगा कि उस राजस्व गांव के हर हेमलेट में, हर पारे में, हर टोले में कम से कम एक पेयजल का स्रोत हो जाए? मैंने अपने प्रश्न में यह भी जानना चाहा था कि इस कार्य के लिए कितनी धनराशि दी जा रही है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कृपया यह भी बतायें कि कितना पैसा इस वर्ष और आने वाले वर्ष में इस कार्य के लिए आप दे रहे है।

श्री उत्तमभाई पटेल : महोदया, हमारे प्रधान मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो पीने का पानी हर जगह पहुंचाना है इसी कारण हम बहुत तेजी से कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी कारण इस बार आठवीं पंचवर्षीय योजना में और भी ज्यादा प्रावधान किया है पानी के लिए। 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो बस्तियां रह गई हैं उनका नये सिरे से सर्वे करा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट भी जनवरी में आ जाएगी। जो बस्तियां बच गई हैं उन बस्तियों में पानी पहुंचाने के लिए हम तेजी से लगे हुए हैं। आठवीं योजना तक यह पूरा हो सकता है लेकिन इससे पहले ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अजीत जोगी : मैं दूसरा पूरक प्रश्न बिजली की व्यवस्था के संबंध में करना चाहूंगा। अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है बिजली की व्यवस्था आदिवासी और अनुसूचित जाति, जनजाति इलाकों में करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है जैसा कि पेयजल के लिए है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आदिवासी और हरिजन इलाकों को बिजली के संबंध में इस तरह से क्यों अनदेखा कर रहे हैं। दूसरे गांव में प्रकाश रहे, आदिवासी गांवों में, अनुसूचित जाति के गांव में प्रकाश न रहे यह अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से पेयजल के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है वैसा कार्यक्रम आदिवासी और अनुसूचित जाति गांवों में बिजली के लिए क्यों नहीं बनाया गया है? इसके लिए क्या दिक्कत है? अगर वह कार्यक्रम बनाया जाए तो कितने वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता होगी? यहां प्रधान मंत्री जी है मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह से पेयजल के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है वैसे ही अगर विद्युत के लिए हमारे आदिवासी और हरिजन गांव के लिए बनाया जा सके तो उसको बनाने की कृपा करें।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदया, पानी का कुआं खोदना कुछ अलग बात

है और बिजली देना अलग बात है । इन दोनों में अंतर है । जब तक उस गांव तक बिजली नहीं पहुंचती है तब तक किसी को भी नही मिलती है—न सवर्ण को मिलती है और न शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलती है । सवाल यह है कि गांव में बिजली पहुंचे औरों को तो मिली लेकिन इन वर्गों को न मिले तो यह अन्याय की बात है । इस बारे में व्यवस्था हो चुकी है । "कुटीर ज्योति" एक प्रोग्राम हुआ था उसके अनुसार कई लाख शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के घरों में बिजली पहुंचाई गई है । आज की परिस्थिति यह है कि सारे गांव में जितने यहां गांव हैं उन सब में बिजली अभी तक पहुंची नहीं है । कुछ राज्यों में पहुंची है, कई राज्यों में अभी तक नहीं पहुंची है । तो यह मजबूरन यही होगा कि जब तक गांव में बिजली नहीं पहुंचेगी और लोगों को नहीं पहुंच सकती, वहां के लोगों को नहीं पहुंच सकती, वहां के दूसरे हेबीटेशंस, जो हैमलेट्स वगैरह है, वहां तक भी नहीं पहुंचाई जा सकती । तो यह कार्यक्रम एक दूसरे से इस तरह से लगा हुआ है । लेकिन इसमें यह अन्याय नहीं होना चाहिये, यह डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये कि किसी को मिले और किसी को न मिले । गांव में बिजली पहुंचाने के बाद उस की पूरी-पूरी सावधानी ली जा रही है और मैं समझता हूंकि उसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं होंगी । किसी इलाके में ऐसा कुछ हो तो हम बिलकुल उसका इन्सदाद करने के लिए तैयार है । यह परिस्थिति है ।

श्री गया सिंह : उपसभापति महोदया, अभी मंत्री जी ने पीने के पानी के बारे में जवाब दिया । पहली योजना से सातवीं योजना तक बहुत सारे पैसे खर्च हुए । इसमें काफी लूट है । आदिवासी क्षेत्रों में छोटा नागपुर का हमारा अनुभव है कि वह पहाड़ी इलाका है, जहां चापाकल तो बहुत लगाते है लेकिन उससे पानी नहीं मिलता है । लगाते है और दूसरे दिन पानी खत्म हो जाता है । जब तक रिंग बोरिंग नहीं करायेंगे तब तक कहीं भी पानी नहीं मिलेगा । न अभी तक मिला है और न आगे मिलने वाला है । सारा पैसा कमीशन और दूसरे लोग खा जाते हैं । दिल्ली में उनका आफिस है और राज्यों की कैपिटल्स में है, उनके आफिस गांव में नहीं है । इसलिए मंत्री जी, आप कोई कंक्रीट योजना बनाएं, रिंग लगाएं या जो नदियां वहां से जाती है उनको मोड़ कर जिस ढंग से सिंचाई के लिए आप पानी लाते हैं उसी तरह से आदिवासी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी । इस संबंध में आपका टोस कार्यक्रम क्या है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ? दूसरा अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहां गांवों में बिजली गई है वहां हरिजनों को अगर वह नहीं मिलती है तो उसको वे देखेंगे । बहुत सारे हरिजन गांवों में भी बिजली गई है लेकिन लाइन ही नहीं है, उसका पोल भी नहीं है । चुनाव के टाइम में खम्बे लगा दिये, उसके बाद उसको कोई देखने वाला नहीं है । इसलिए उस पर आप अगर सचेत है तो हम समझते हैं कि आपका टोस कार्यक्रम हो ।

श्री उत्तमभाई पटेल : उपसभापति महोदया, जहां हैंड पम्प काम नहीं आते हैं, काम नहीं कर सकते है तो वहां हम ट्यूबवेल भी लगा रहे है । बाजू में अगर पानी की सुविधा हो तो पाइपलाइन से भी वहां हम पानी पहुंचाने के लिए कार्यक्रम शुरू कर रहे है । बिजली के बारे में भी जहां ऐसे पहाड़ी इलाके है, वहां कुटीर ज्योति कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और ऐसे आदिवासी के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम है उनको हम जोर से शुरू करेंगे ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : चुनाव वाली जो बिजली है उसके लिए अलग नोटिस चाहिये ।

श्री संजय सिंह : माननीया उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से इससे मिलता-जुलता लोकसभा के अमेठी चुनाव क्षेत्र के बारे में एक प्रश्न करना चाहता हूं । स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होने शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अमेठी लोक सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण और

पेयजल योजना की एक स्कीम चलाई थी। दुर्भाग्य से उनके देहावसान के बाद चूंकि यह पूरी आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार से दी गई थी और प्रदेश में कई पार्टियों की सरकारें बदलीं तो उस तरफ केन्द्रीय सरकार की निगाह नहीं गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि लगभग 30-40 प्रतिशत गांवों में और हरिजन बस्तियों में वह व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्या वे उसे पूरा करवाने का आश्वासन देंगे?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अवश्य करेंगे।

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, the accelerated rural water supply programmes are partly funded by the Central Government and implemented by State Governments, but there is no proper monitoring or maintenance of these programmes for supply of water to tribal people and also in the Scheduled Castes villages. Also, in coastal areas where there is salination, water supply is arranged through tankers for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people, but after some time this scheme is also discontinued for want of funds by the State Government. There are also complaints that the States are diverting funds which have been given by the Centre for particular schemes for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. These complaints are also there. Therefore, I would like to know whether the Central Government will have a monitoring agency to find out whether the funds that have been provided have been properly utilized for the schemes that have been sanctioned. That is No. 1. In the southern States ...

उपसभापति : नम्बर वन का जवाब आ जाए।

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, I am only going to make the second point. I am going to complete within half a minute. Under rural electrification, especially in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes areas, electric poles are there and street lights are burning. There is a scheme called single-point light system, to have one light free, and that has been implemented in the southern States. It has been done within the budget of the State Government concerned. But Central Government's assistance is not provided for that. Because the States are having a tight financial position, I would like to know from the hon. Prime Minister whether the Central Government will consider providing additional funds to the State Governments to extend this single-point free light service to the people living below the poverty line, especially the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, in those colonies where electricity supply is available.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO : Which programme ? As far as I understand ...

SHRI V. NARAYANASAMY : That is under the rural electrification programme. In the Scheduled Castes and Scheduled Tribes areas, the State Governments are giving one free light for the Harijan huts. But the State Governments could not go ahead with the scheme for want of funds.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO : I will ascertain where that money is coming from.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि वैसे तो शुद्ध पानी हमारे हिन्दुस्तान के गांवों तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या है लेकिन मैं जिस प्रांत से आती हूं, राजस्थान से, वहां उस प्रांत में पानी की बहुत ही विकट समस्या है। हाल के चुनावों के दौरान मुझे राजस्थान के उदयपुर जिले के उन अनुसूचित जाति और जनजाति के गांवों में जाने का मौका मिला जहां कि हर दीवार पर यह लिखा हुआ था कि नारू रोग से सावधान रहिए। पानी छानकर पीजिए। महोदया, आपको आश्चर्य होगा कि जब वहां की आबादी के जितने लोगों से मैं मिली तो हर परिवार का एक न एक सदस्य नारू रोग से बीमार था। यह रोग इतना भयंकर है कि शरीर के किसी भी भाग से निकल सकता है, आंख से निकल सकता है, हाथ से निकल सकता है

और इसके पीछे जिम्मेदार है सिर्फ पीने का अशुद्ध पानी। उन गांवों के लोग खुली बावड़ियों से पानी पीते है। ढके हुए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और खुली बावड़ियों से पानी पीने से यह रोग होता है। इस नारू रोग के चलते वहां एक विकट समस्या पैदा हो गयी है। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जहां इतना भयंकर रोग फैला हुआ है जिस इलाके की करीब 60-70 फीसदी जनता जिस रोग से पीड़ित है और कोई बाहर का आदमी जाए तो आतंकित हो जाए--उपसभापति महोदया, चुनाव प्रचार के दौरान जो हम लोग . . . .

उपसभापति : आप सवाल कीजिए. . . (व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी : चुनाव प्रचार के दौरान जो लोग गये थे उनको भी वह नारू रोग हो गया था वहां का पानी पीने से. . . (व्यवधान) मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि कम से कम इस तरह की जगह जहां इतनी विकट समस्या हो आप कौन-से विशेष प्रावधान कर रहे है? ताकि कम से कम इस तरह के रोगों से लोग—हमारे आदिवासी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पीड़ित न हों। आज आजादी के 43 वर्ष हो गये है। कम से कम ऐसे इलाकों के लिए कौन-से विशेष प्रावधान कर रहे है और इस पर विशेष नजर रखते हुए कौन सी योजनाएं चला रहे है, यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : ऐसे इलाकों के लिए जैसे कि सदस्यों को पता होगा हजारों ऐसे गांव थे और वहां ड्रा वेल दिये गये है जहां स्टेप वेल थे। मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूं अपने ही इलाके में, मेरे ही इलाके में कई ऐसे गांव थे। आज एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां ड्रा वेल नहीं दिया गया हो। अब सदस्य मुझे बतायें कि कौन-कौन से गांव है, कितने गांव है। यह तो राज्य सरकार का काम है वैसे भी। लेकिन मैं उनकी तवज्जह फौरन दिलाऊंगा और उसमें जोभी कार्यवाही करनी है तुरंत की जाएगी।

Order for Reservation of Government Jobs for Handicapped Persons

*103. SHRI CHATURANAN MISHRA: SHRI N. E. BALARAM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a standing executive order for reservation of 3 per cent jobs in Group C and D posts in Government Departments and Public Sector Undertakings for handicapped persons and

(b) if so, the details thereof and the number of appointments made during the last five years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Copies of O.M. dated 1-4-1986 and 20-11-1989 are enclosed. (See below).

Such appointments are decentralised to the administrative Ministries/Departments concerned and their Attached and Subordinate Offices. The information about the number of appointments is not centrally maintained.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Chaturanan Mishra.